बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड
Bihar Board Of Open Schooling & Examination
शिक्षा विभाग, बिहार का स्वायत्त संस्थान
An Autonomous Organisation of Department of Education, Govt of Bihar
चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर, न्याय नगर, मीठापुर, पटना –800001
Chanakya National Law University Campus, Nyaya Nagar, Mithapur, Patna-800001
Website: www.bbose.org Phone No: 0612-2355563
Email ID:info@bbose.org Fax No : 0612-2355662

हुनर परियोजना–IV

सत्र 2013–14

व्यावसायिक/कौशलवर्द्धन प्रशिक्षण हेतु 'अभिरूची की अभिव्यक्ति' (EOI) प्रस्ताव आमंत्रण

बिहार सरकार द्वारा संचालित हुनर परियोजना–IV का क्रियान्वयन बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के द्वारा किया जाएगा। इस कौशलवर्द्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के अल्पसंख्यक (मुस्लिम/अन्य), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की 50,000 बालिकाओं को कुल 16 विषयों में शिक्षण–प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर, न्याय नगर, मीठापुर, पटना–800001 बिहार, सरकारी/गैर–सरकारी संगठनों द्वारा उक्त शिक्षण–प्रशिक्षण को संचालित करने हेतु ''अभिरूची की अभिव्यक्ति'' प्रस्ताव आमंत्रित करते हैं।

''अभिरूची की अभिव्यक्ति'' हेतु इच्छुक संस्था आवेदन के साथ 5,000/–(पाँच हजार) रूपये का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जो CEO, BBOSE, Patna के पक्ष में देय होगा, को संलग्न कर आवेदन कर सकते है। अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए आवेदन ''बोर्ड'' के website :- www.bbose.org से download किया जा सकता है, अथवा ''बोर्ड'' के कार्यालय से किसी कार्यदिवस में 12:00 बजे मध्याह्न से 4:00 बजे अपराह्न तक 200/–(दो सौ) रूपये का नकद भुगतान कर भी प्राप्त कर सकते हैं।

संस्था द्वारा ग्रुप–''ए'' एवं ग्रुप–''बी'' के लिए अलग–अलग आवेदन करना होगा साथ में प्रत्येक के लिए 5,000/–(पाँच हजार) रूपये का बैंक का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। नीचे दिए गये ग्रुप–''ए'' एवं गुप–''बी'' के लिए शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु Earnest Money Deposit (EMD) क्रमशः 25 हजार एवं 50 हजार की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट CEO, BBOSE, Patna के पक्ष में देय होना चाहिए।

किसी भी ''अभिरूची की अभिव्यक्ति'' (Expression of Interest) के प्रस्ताव को बिना कारण बताये अस्वीकृत किये जाने, EOI स्वीकृत होने के पश्चात् सेवा प्रदाता द्वारा असंतोषजनक सेवा पाये जाने की स्थिति में एकरारनामा को रद्द करने का अधिकार, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनके द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।

विस्तृत जानकारी के लिए ''बोर्ड'' के website :- www.bbose.org देखा जा सकता है।

(i) हुनर परियोजना–IV – एक परिचय

हुनर परियोजना–IV बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण शिक्षण–प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक (मुस्लिम/अन्य), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क कौशलवर्द्धन/व्यवसायिक शिक्षण–प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देना एवं बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावक को जागरूक करना है।

हुनर परियोजना–IV का क्रियान्वयन बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के द्वारा किया जाएगा। इस कौशलवर्द्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य की 50,000 बालिकाओं को कुल 16 विषयों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(ii) प्रशिक्षण कार्यक्रम – विस्तृत जानकारी

- लाभार्थियों की संख्या – 50,000 (पचास हजार)
- दक्षता – न्यूनतम 5वीं छःमाही पाठ्यक्रम के लिए एवं अधिकतम 8वीं कक्षा 1वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए
- सत्र – 2013–14
- कोटि – अल्पसंख्यक (मुस्लिम/अन्य), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की बालिकाएँ
- जिलों की कुल संख्या – 38
- कौशलवर्द्धन प्रशिक्षण हेतु विषयों की संख्या – 16
- विषय एवं शुल्क तालिका – नीचे के पृष्ठ पर देखें
- प्रशिक्षण प्रारंभ की तिथि – 20 नबम्बर, 2013
- प्रशिक्षण समाप्ति की तिथि – 19 नबम्बर, 2014

(2) सरकारी/गैर–सरकारी संगठनों की पात्रता :–

(क) सभी निबंधित सरकारी/गैर–सरकारी संगठन, जो निम्नांकित शर्त पूरा करते हैं, 'अभिरूची की अभिव्यक्ति'' (Expression of Interest) संबंधी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं –

1. जिन्हें किसी भी सरकारी या गैर–सरकारी/संस्था/विभाग या अन्य ऐजेंसी द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो।
2. जो कम–से–कम तीन वर्षों से निवंधित हो ।
3. कम–से–कम दो महीने तक का प्रशिक्षण व्यय करने का पर्याप्त पूँजी हो।

4. पर्याप्त आधारभूत संरचना के साथ तथा आधुनिक संदेश सेवा जैसे फैक्स, ई0मेल0, मोबाईल फोन इत्यादि उपलब्ध हो।
5. शिक्षा, स्वास्थ्य, बालश्रम इत्यादि क्षेत्र में कार्य करने का पर्याप्त अनुभव हो।
6. पर्याप्त संख्या में योग्य एवं अनुभवी कर्मी उपलब्ध हो, तथा संस्था के साथ उचित रूप से लेखा संधारण, दस्तावेज संधारण एवं पत्राचार आदि कर सके।

(ख) इस सन्दर्भ में निम्नांकित प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है :–

1. निबंधन संबंधी प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।
2. अगर निबंधन का नवीकरण किया गया हो, तो नवीकरण संबंधी प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।
3. संस्थान का नियम एवं परिनियम (मेमोरेंडम एवं बाईलॉज) की छाया प्रति ।
4. संगठन के विगत् तीन वर्षों की वार्षिक प्रतिवेदन की छाया प्रति।
5. संस्था द्वारा विगत् तीन वर्षों का लेखा अंकेक्षण का प्रतिवेदन, जिसमें आय, व्यय, भुगतान एवं बैलेंस शीट हो, की छाया प्रति।
6. आधारभूत संरचना की पूर्ण विवरणी यथा – संस्था का निजी भवन है, अथवा, भाड़े पर चल रहा है।
7. कर्मियों का उपस्थिति पंजी की अभिप्रमाणित छाया प्रति।
8. संस्थान के चल और अचल संपत्ति का पूर्ण व्योरा की छाया प्रति ।
9. साधन सेवियों की उपलब्धता एवं क्षमता के संबंध में पूर्ण विवरणी की छाया प्रति ।
10. यदि सरकार से पूर्व में निधि प्राप्त हुई हो, तो उसका विवरणी एवं उपयोगिता का प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
11. पैन कार्ड की छाया प्रति।
12. गैर–सरकारी संगठन के निदेशक एवं सदस्यों की पूर्ण सूची।
13. वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन जो कि अंकेक्षक द्वारा सील सहित हस्ताक्षरित हो जिसमें अंकेक्षक का पंजीकरण संख्या, पता, दूरभाष संख्या आदि भी हो।

आवश्यक दिशा–निर्देश :–

01. चयनित संस्था को ''बोर्ड'' द्वारा चयनित शैक्षणिक संस्थान यथा – पूर्व हुनर अध्ययन केन्द्र/सरकारी अध्ययन केन्द्र/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय/मदरसा/मकतब – के माध्यम से शिक्षण–प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। इन संस्थानों का चयन बालिकाओं के द्वारा प्राप्त नामांकन तथा संस्थान में उपलब्ध साधन के आधार पर ''बोर्ड'' द्वारा किया जाएगा।

02. ''बोर्ड'' द्वारा निर्गत राशि का उपयोग सिर्फ प्रशिक्षण संबंधी कार्य में ही किया जाएगा, इस आशय की घोषणा अपने पैड पर लिखित रूप में संलग्न करें।

03. आवेदित संस्था द्वारा अधिकतम 5 विषयों में प्रशिक्षण कराने हेतु आवेदन कर सकते हैं। Group-A एवं Group-B के लिए अलग–अलग आवेदन दें। आवेदन के समय लिफाफा के उपर स्पष्ट शब्दों में अंकित करें – Group-A, विषय का नाम 1..............2............3.............4............5............ अथवा Group-B विषय का नाम 1..............2............3.............4............5.........

04. प्रति बैच में छात्राओं की संख्या–40 (अधिक/कम) एवं शिक्षक/अनुदेशकों की संख्या–न्यूनतम 2 रहेगी।

05. चयनित संस्थाओं को शिक्षण–प्रशिक्षण (साजो–सामान सहित) के संबंध में ''बोर्ड'' के साथ एकरारनामा करना होगा जो प्रशिक्षण समाप्ति तक मान्य होगा। आपसी सहमति से इसे आगे के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

06. असफल संस्थाओं द्वारा जमा किया गया राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट (EMD की राशि) उन्हें EOI के चयनित तिथि के एक महीने के अन्दर वापस कर दिया जायेगा।

07. संस्था को भुगतान तीन किस्तों (प्रथम किस्त 40%, प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के उपरान्त, द्वितीय किस्त 25%, प्रशिक्षण कार्य 75% पूर्ण होने के उपरान्त, तृतीय किस्त 15% ''बोर्ड'' द्वारा परीक्षाफल प्रकाशन उपरान्त) में किया जा सकता है।

08. अधिक–से–अधिक केन्द्रों में प्रशिक्षण कार्य संचालन की क्षमता एवं कम–से–कम समय में प्रशिक्षण कार्यक्रम को आरम्भ करने वाली संस्था को प्राथमिकता दी जायेगी।

09. चयनित संस्थाओं को प्रशिक्षण सामग्री रखने हेतु वैकिल्पक व्यवस्था आवश्यक है तथा प्रशिक्षण सामग्री की सुरक्षा उनकी निजी जिम्मेवारी होगी।

	1	EOI बिक्री की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 09–09–13 से 16–09–13 को पूर्वाह्न 12:00

		बजे से 4:00 बजे अपराह्न तक सभी कार्यदिवसों में, लेखा शाखा, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर, न्याय नगर, मीठापुर, पटना–800001
2	भरे हुए EOI प्राप्ति की अन्तिम तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 18–09–13 को 3:00 बजे अपराह्न तक सभी कार्यदिवसों में, लेखा शाखा, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर, न्याय नगर, मीठापुर, पटना– 800001 एवं प्राप्ति रसीद भी प्राप्त कर लें ।
3	तकनीकि मापदंड खोलने की तिथि, समय एवं स्थान अभिरूची प्रदाताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि (जो उपस्थित रहेंगे) के समक्ष खोला जायेगा।	दिनांक 18–09–13 को 5:00 बजे अपराह्न तक चयन समिति के समक्ष बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर, न्याय नगर, मीठापुर, पटना– 800001
4	EOI की वैद्यता अवधि	1 (एक) वर्ष

(4) पाठ्यक्रम एवं शुल्क तालिका

क्रम सं0 Sl. No.	पाठ्यक्रम का नाम Name of the Courses	पाठ्यक्रम कोड Subject Code	सत्र(अवधि) Duration of the Course	पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/स्तर Minimum required Educational Qualification	ग्रुप Group	विषयवार शुल्क तालिका प्रति प्रशिक्षणार्थी Course Fee per Trainee
A.	Sector-Agriculture & Allied Activities (HA--) क्षेत्र–कृषि एवं संबंधित क्षेत्र					
1.	मशरूम उत्पादन Mushroom Production	(HA01)	1 वर्षीय	8वीं पास	Group-B	1200
2.	मधुमक्खी पालन Bee Keeping	(HA02)	छः माही	5वीं पास	Group-A	600
3.	मुर्गी पालन Poultry Farming	(HA03)	छः माही	5वीं पास	Group-A	1100
4.	रेशम उत्पादन Certificate in Sericulture	(HA04)	1 वर्षीय	8वीं पास	Group-B	1000
5.	वर्मी कम्पोस्टींग Vermi Composting	(HA05)	छः माही	5वीं पास	Group-A	1200
6.	फल और सब्जी का रख–रखाव Preservation of fruits & vegetables	(HA06)	छः माही	5वीं पास	Group-A	3000
B.	घरेलू दक्षता प्रशिक्षण Home Based Skill Training (HH--)					
1.	सौन्दर्य संवर्द्धन Certificate in Beauty Culture	(HH01)	छः माही	5वीं पास	Group-A	1500
2	स्वास्थ्य और सौन्दर्य Health and Beauty	(HH02)	1 वर्षीय	8वीं पास	Group-B	3000
3.	पोशाक निर्माण Cutting and Tailoring & Dress Making	(HH03)	1 वर्षीय	8वीं पास	Group-B	3000
4.	टाई एण्ड डाई Tie and Dye	(HH04)	छः माही	5वीं पास	Group-A	1500
5.	ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य में प्रमाण–पत्र (ग्रामसखी) Certificate in Rural Health for Woman (Gram Sakhi)	(HH05)	1 वर्षीय	5वीं पास	Group-B	3500
6.	बाटिक Batik	(HH06)	छः माही	5वीं पास	Group-A	1500
7.	डब्बा बंद खाद्य पदार्थों का विपणन Production & Packaging of Processed Food	(HH07)	1 वर्षीय	8वीं पास	Group-B	2300
C.	सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पाठ्यक्रम I.T. Based Courses (HC--)					
1.	बेसिक कम्प्यूटिंग Basic Computing	(HC01)	1 वर्षीय	8वीं पास	Group-B	2400
2.	कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम Computer Literacy Programme	(HC02)	छः माही	5वीं पास	Group-A	2000
3.	बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट Basic Word Processing Certificate	(HC03)	1 वर्षीय	5वीं पास	Group-B	2400

(5) प्रशिक्षण कार्यक्रम – वित्तीय व्यवस्था

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना द्वारा चयनित प्रत्येक सरकारी/गैर–सरकारी संगठनों को एक विषय में प्रशिक्षण देने के लिए शुल्क के रूप में उपर्युक्त तालिका के अनुसार राशि प्रदान की जाएगी। ''बोर्ड'' के द्वारा उपलब्ध राशि का 20 प्रतिशत् ''बोर्ड'' अपने प्रशासनिक व्यय के लिए रखेगा एवं शुल्क का शेष 80 प्रतिशत् राशि प्रशिक्षण देने वाले संस्था/संस्थानों को क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

(6) प्रशिक्षण कार्यक्रम – कार्य परिधि

(1) ''बोर्ड'' के द्वारा हुनर परियोजना–IV के अन्तर्गत नामांकित सभी बालिकाओं को 16 विषयों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्य के लिए ''बोर्ड'' के द्वारा ''अभिरूची की अभिव्यक्ति'' के माध्यम से इन सभी संस्थाओं को आमंत्रित किया जा रहा है, जो इस कार्य को ''बोर्ड'' के साथ मिलकर करने के लिए इच्छुक हैं। उल्लेखनीय है कि इस ''अभिरूची की अभिव्यक्ति'' के माध्यम से, प्राप्त संस्थाओं के आवेदन–पत्रों को, ''बोर्ड'' के द्वारा आगामी छः माह/एक वर्ष के लिए पूर्व निर्धारित शुल्क पर, अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी सूचीबद्ध किया जा सकता है।

(2) इस परियोजना के अन्तर्गत ''बोर्ड'' के द्वारा प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों के साथ, एक एकरारनामा (MOU) हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(3) ''बोर्ड'' को प्राप्त राशि का 20 प्रतिशत् से निम्नांकित कार्य कराए जाऐंगे :–

(क) अध्ययन सामग्रियों को उपलब्ध कराना।
(ख) छात्राओं को फोटो पहचान–पत्र निर्गत करना।
(ग) प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मापदंडों को निर्धारित करना।
(घ) प्रशिक्षण कार्यक्रम का गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु समय–समय पर अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना।
(ङ) शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र (TMA) उपलब्ध कराना।
(च) प्रशिक्षण के पश्चात् परीक्षा का आयोजन एवं प्रमाणीकरण।

(4) संस्था को शुल्क का 80 प्रतिशत् प्राप्त राशि से निम्नांकित कार्य करने होंगे :–

1. जिलों/प्रखण्डों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना।
2. प्रशिक्षण केन्द्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यालय की स्थापना।

3. प्रशिक्षण केन्द्रों पर उपकरण एवं उपस्कर उपलब्ध कराना एवं प्रशिक्षण केन्द्रों पर यदि विद्युत की व्यवस्था न हो तो वैकल्पिक व्यवस्था करना।
4. प्रशिक्षण हेतु सभी प्रकार की कच्ची सामग्रियों (Raw Materials) एवं अन्य सामग्रियों को उपलब्ध कराना।
5. निर्धारित मापदंडो के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए, अनुदेशकों/शिक्षकों के माध्यम से छात्राओं के प्रशिक्षण के लिए सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं का आयोजन करना।
6. सभी छात्राओं को, गुणवत्तापूर्ण, शिक्षण/प्रशिक्षण निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध करवाना।
7. ''बोर्ड'' के द्वारा उपलब्ध कराए गए शिक्षक मूल्यांकित अभ्यास पत्रों (TMA's) के आधार पर मूल्यांकन करना।
8. छात्राओं को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं के लिए हर प्रकार की अकादमिक सहायता प्रदान करना।
9. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करना।
10. परियोजना क्रियान्वयन के क्रम में, ''बोर्ड'' के द्वारा समय–समय पर दिए गए प्रशासनिक, वित्तीय एवं अकादमिक निर्देशों को पालन करना।
11. ''बोर्ड'' के द्वारा वांछित सूचनाओं को ससमय उपलब्ध कराना। ''बोर्ड'' के माध्यम से दी जाने वाली पाठ्य सामग्री, फोटो पहचान–पत्र एवं अन्य सूचनाएँ, छात्राओं को निःशुल्क उपलब्ध कराना।
12. प्रशिक्षण पाने वाली छात्राओं का विस्तृत डाटाबेस तैयार कर ''बोर्ड'' को उपलब्ध कराना।
13. अपने स्तर से भी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्य कर, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण प्रतिवेदन ''बोर्ड'' को समर्पित करना।
14. बालिकाओं की प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक कक्षाओं के उपस्थिति का संधारण एवं समय समय पर ''बोर्ड'' को उसकी जानकारी देना।
15. प्राप्त राशि का उपयोगता प्रमाण पत्र ''बोर्ड'' को उपलब्ध कराना।
16. संचालित पाठ्यक्रमों को श्रव्य एवं दृश्य के माध्यम से प्रभावकारी बनाना।
17. इकाई जाँच परीक्षा (Unit Tests) का आयोजन एवं मूल्यांकन।
18. समय–समय पर ''बोर्ड'' के द्वारा दिए गए अनुदेशों एवं परामर्शों को क्रियान्वित करना।
19. प्रशिक्षण उपरान्त, बालिकाओं का परीक्षा आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरवाकर ''बोर्ड'' को ससमय उपलब्ध करवाना।

****